न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 916–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–1–2013 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग अपील प्रकरण कमांक 90/2010–11.

1 उर्मिलाबाई आयु लगभग 60 वर्ष
पत्नी स्व0 लक्ष्मीनारायण जी लोधी, व्यवसाय कृषि
निवासी नौसर तहसील टिमरनी जिला हरदा
2 गोपाल आयु लगभग 20 वर्ष आ0 स्व0 लक्ष्मीनारायण जी लोधी
व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम नौसर, तहसील टिमरनी जिला हरदा

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 श्रीमती गुलाबबाई आयु लगभग 55 वर्ष
पत्नी श्री भागीरथ जी लोधी निवासी दीपन मोहल्ला
इटारसी जिला होशंगाबाद
2 अनुविभागीय अधिकारी, टिमरनी, जिला हरदा म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री अनिल गुप्ता अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दुष्यन्त सिंह, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री एच0 के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 21 मई, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग द्वारा पारित आदेश 17–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण द्वारा तहसीलदार, टिमरनी के समक्ष संहिता की धारा 109/110 सहपठित धारा 178 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा नौसर स्थित भूमि सर्वे कमांक 186/2 रकबा 0.008 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 200/5, 201/6, 201/7 रकबा 3.237 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 200/16 रकबा 0.809 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 200/23 रकबा 0.809 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 203/1 रकबा 3.686 हेक्टेयर सर्वे कमांक 205/2 रकबा 1.218 हेक्टेयर सर्वे कमांक 207/2 रकबा 0.190 हेक्टेयर सर्वे कमांक 212/2 रकबा 0.284 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 152/2, 153/2, 154/2, 155/4 रकबा 0.081 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 10 रकबा 200/44 जुमला रकबा 10.889 हेक्टेयर का वह भूमिस्वामी है । उसके द्वारा आपसी पारिवारिक व्यवस्था पत्र के अनुसार उक्त भूमि का विभाजन करा लिया गया है और पारिवारिक व्यवस्था अनुसार वह, उसकी पत्नी एवं पुत्र अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं । अतः नामांतरण बंटवारा किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 44/अ–27/2009–10 दर्ज किया जाकर दिनांक 12–3–2010 को आदेश पारित कर स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण एवं आवेदकगण के मध्य बंटवारा स्वीकृत किया जाकर अभिलेख दुरूस्त करने के आदेश दिये गये । तत्पश्चात दिनांक 6–5–2010 को अनावेदिका कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि वह स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण की पहली पत्नी की पुत्री है और उसके पिता की मृत्यु दिनांक 28–4–2010 को हो गई है । उसकी सौतेली मॉ उसके पिता के फर्जी हस्ताक्षर करके प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नामांतरण कराने का प्रयास कर रही है, अतः उचित जांच कर उसके पिता के नाम की भूमि का जो अंतरण पटवारी रिकार्ड में हो रहा है या होवेगा उसे तत्काल रोका जाये एवं सभी पक्षों को सुनकर सही वस्तुस्थिति को ध्यान में रखकर आगामी कार्यवाही की जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पत्र कार्यवाही हेतु तहसीलदार को भेजा गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–5–2010 को इस आशय का आदेश पारित किया गया कि प्रकरण में दिनांक 12–3–2010 को अंतिम आदेश पारित हो चुका है अतः अनावेदिका कमांक 1 चाहे तो अपीलीय न्यायालय में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकती है । अतः अनावेदिका कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है । तत्पश्चात अनावेदिका कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 12–3–2010 के

विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–3–2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया कि मृतक लक्ष्मीनारायण के सभी वारिसानों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य आदि ली जाकर मृतक खातेदार लक्ष्मीनारायण के नाम दर्ज भूमि में से आधी भूमि अनावेदिका कमांक 1 एवं आधी भूमि आवेदकगण के नाम दर्ज कर विधिसम्मत आदेश पारित करे । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–1–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश में प्रश्नाधीन भूमि में से आधी भूमि पर आवेदकगण का एवं आधी भूमि अनावेदिका कमांक 1 के नाम दर्ज करने संबंधी दिये गये निर्देश में संशोधन का आदेश दिया गया कि उभयपक्ष को श्रवण करने के उपरान्त हिस्से की पात्रता के संबंध में विधि अनुसार निराकरण किया जाये । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 12–3–2010 को विधिवत प्रकिया का पालन करते हुये आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका कमांक 1 स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण की पुत्री होने के कारण उसे पहले ही 4 एकड़ भूमि विक्रय कर राशि दे दी गई थी, इसके बावजूद उसके द्वारा दुर्भावना से दुबारा हिस्से की मांग की जा रही है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित कार्यवाही में अनावेदिका कमांक 1 द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई, अतः प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाना उचित कार्यवाही नहीं है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी है और अनावेदिका कमांक 1 को प्रश्नाधीन भूमि में कोई हक नहीं है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) तहसीलदार, टिमरनी द्वारा अनावेदिका कमांक 1 को पक्षकार बनाये बिना सुनवाई साक्ष्य एवं बहस का अवसर दिये बगैर नामांतरण एवं बंटवारा आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) चूँकि अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित कर प्रश्नाधीन भूमि में से आधी भूमि पर आवेदकगण का एवं आधी भूमि पर अनावेदिका कमांक 1 का नाम दर्ज करने के संबंध में आदेश दिया गया है कि उभयपक्ष को श्रवण करने के उपरान्त हिस्से की पात्रता के संबंध में विधि अनुसार निराकरण किया जाये । अतः आवेदकगण को तहसील न्यायालय में सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, इस कारण यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) तहसीलदार द्वारा बंटवारा एवं नामांतरण के प्रकरण का एक साथ सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर निराकरण किया गया है, इसलिये निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि बंटवारे एवं नामांतरण के प्रकरण में एक साथ विचार नहीं किया जा सकता है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदिका कमांक 1 के पिता स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण के स्वत्व की भूमि है, जिस पर उसका बराबर का अधिकार है, इसके बावजूद तहसील न्यायालय द्वारा बिना उसे सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

तर्क के समर्थन में 2003 राजस्व निर्णय 446, 1974 राजस्व निर्णय 436, 1965 जेएलजे 136, 1990 राजस्व निर्णय 150 एवं 162, 1986 राजस्व निर्णय 305 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ प्रति उत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार के समक्ष बंटवारा एवं नामांतरण का प्रकरण नहीं था, बल्कि पूर्व में हुये बंटवारे के आधार पर नामांतरण का प्रकरण था, अतः इस संबंध में अनोवदिका कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाया गया आधार अभिलेख से परे है ।

6/ अनावेदक कमांक 2 शासन औपचारिक पक्षकार होने से उनके अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि अनावेदिका कमांक 1 मृतक भूमिस्वामी

स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण की पुत्री होकर हितबद्ध पक्षकार है । इसके बावजूद तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है और तहसील न्यायालय द्वारा उसे बिना पक्षकार बनाये एवं बिना सूचना दिये आदेश पारित किया गया है, क्योंकि अभिलेख दुरूस्ती का आदेश नामांतरण की परिधि में आता है । संहिता की धारा 178 (क) में प्रावधानित है कि यदि कोई भूमिस्वामी अपनी कृषि भूमि का अपने जीवनकाल में विधिक वारिसों के मध्य विभाजन चाहता है तो वह तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करेगा और तहसीलदार विधिक वारिसों की सुनवाई करने के पश्चात खाते को विभाजित कर सकेगें । उपरोक्त प्रावधान के अनुरूप तहसीलदार का यह विधिक दायित्व था कि वह स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण के विधिक वारिसानों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करते, परन्तु उक्त कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण अनावेदिका क्रमांक 1 जो कि स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण की विधिक वारिसान है, के हक प्रभावित हुये है, इस कारण भी तहसीलदार का आदेश उचित नहीं ठहराया जा सकता है । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण एवं स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण के मध्य बंटवारा आदेश पारित कर अभिलेख दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये है, जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत कार्यवाही है । दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, और आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । परन्तु चूँकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में से आधी भूमि पर आवेदकगण का एवं आधी भूमि पर अनावेदिका क्रमांक 1 का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है, जबकि बिना पात्रता की जांच किये नाम दर्ज किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । अतः आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय को उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर हिस्से की पात्रता के संबंध में निराकरण करने के निर्देश देने में उचित कार्यवाही की गई है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनावेदिका क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–1–2013 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर